न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

राजस्व दावा सं0:–28 / 2014

मानसिंह बनाम खैमसिंह बगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) जाप्ता दीवानी व सिलसिले दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री प्रमोद कुमार उपमन
अभिभाषक वादी
2. श्री पंकज कुमार
अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :–18.09.2019

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण असल सं0 1 लगायत 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11(घ) का दिनांक 21.12.2017 को इस आशय का पेश किया कि वादी ने दावे में रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 1.06.2006 को निरस्त कराने की दादरसी चाही है। जबकि रजिस्टर्ड रिलीज डीड को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। रजिस्टर्ड रिलीज डीड को निरस्त कराये बिना वादी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की दादरसी नहीं प्राप्त कर सकता है। दावा वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

लगा0 3 प्रार्थीगण स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ–पत्र पेश किया गया।

अप्रार्थी वादी को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 06.02.18 से 20.05.19 तक नौ मौके दिये गये। लेकिन अप्रार्थी वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। दिनांक 20.05.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र बन्द कर दिया गया।

हमने उभयपक्षकारान के अभिभाषकों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दावा अधिकारों की घोषणा एवं विधिवत विभाजन का है। वादी द्वारा दिनांक 01.06.2006 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड को अपने हिस्से तक वातिल व बेअसर घोषित कराने की दादरसी चाही गई। रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.06.2006 को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.06.2006 के द्वारा प्रतिवादी सं0 4, 5 आनन्दी व चन्दानिया के साथ–साथ विवादित आराजी में से अपने हिस्सा में से हकत्याग किया गया है। वादी द्वारा रिलीज डीड की 21वीं लाइन में अंकित किया है कि मानसिंह को पिता कमलसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने भाईयों से अलग से आराजी दिला दी थी। इसलिए मुझ पर अपने सगे भाईयों से अधिक आराजी है। इसलिए हम रिलीज कर्तागण वर्णित आराजी खसरा नम्बरानों में से रिलीज डीड बगैर लेन–देन के अपने सगे भाईगण रिलीज गृहिता के हक में दी गई है। जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 के हक में रजिस्टर्ड रिलीज दिनांक 01.06.2006 द्वारा अपने हिस्सा की आराजी में से रिलीज करा दी है तो इस दावा को लाने का कोई औचित्य नहीं है। वादी रजिस्टर्ड रिलीज डीड को निरस्त कराना चाहता है तो सिविल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

न्यायालय में चाराजोही करें। अतः प्रार्थीगण प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी दिनांक 21.12.2017 स्वीकार किया जाता है तथा दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 18 सितम्बर 2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner